सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

10 Baishakh, 1942 (S)

No. 187 **Ranchi, Thursday, 30th April, 2020**

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

ORDER

30th April, 2020

File No- Va0 Kar/GST/16/2017

Order No. 09/2019-State Tax

S.O. No. 18 Dated- 30th April, 2020-- WHEREAS, sub-section (1) of section 112 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or section 108 of this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 112 of the said Act provides that the Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of Central tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or under the Central Goods and Services Tax Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order;

AND WHEREAS, section 109 of the said Act provides for the constitution of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal and Benches thereof;

AND WHEREAS, for the purpose of filing the appeal or application as referred to in sub- section (1) or sub-section (3) of section 112 of the said Act, as the case may be, the Appellate Tribunal and its

Benches are yet to be constituted in the State of Jharkhand under section 109 of the said Act as a result whereof, the said appeal or application could not be filed within the time limit specified in the said sub-sections, and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Ninth Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that for the purpose of calculating,-

(a) the "three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal" in sub-section (1) of section 112, the start of the three months period shall be considered to be the later of the following dates:-

(i) date of communication of order; or

(ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office;

(b) the "six months from the date on which the said order has been passed" in sub-section (3) of section 112, the start of the six months period shall be considered to be the later of the following dates:-

(i) date of communication of order; or

(ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office.

3. This Order shall be deemed to be effective from 3rd December, 2019.

(Vandana Dadel)

Secretary

वाणिज्य-कर विभाग

आदेश

30 अप्रैल, **2020**

संचिका संख्या-वा0कर/GST/16/2017

<u>**आदेश** सं. 09/2019- राज्य कर</u>

एस. ओ. सं-18 दिनांक 30 अप्रैल, 2020-- झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 112 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा:

और उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (3) में उपबंधित है कि आयुक्त इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के, उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अभिलेख को स्वःप्रेरणा से या आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा और आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न से बिंदुओं के अवधारण के लिए उस तारीख से जिसको उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा:

और उक्त अधिनियम की धारा 109, माल और सेवा कर अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों के गठन का उपबंध करती है:

और, यथास्थिती, उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट अपील या आवेदन फाइल करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 109 के अधीन झारखण्ड राज्य में अभी अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन किया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उक्त अपील या आवेदन फाइल नहीं किए जा सकता है और उसके कारण उक्त धारा के उपबंधों का प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उद्भूत हो रही हैं ;

अब झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम - इस आदेश का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (कठिनाईयों का दूर करना, नौवां) आदेश, 2019 है।

2. कठिनाईयों को देर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि -

(क) उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (1) में ''उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को, संसूचना दी जाती है, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा'' की संगणना के प्रयोजन के लिए, तीन मास की अवधि का प्रारंभ निम्नालिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगा:-

(i) आदेश की संसूचना की तारीख; या

(ii) वह तारीख, जिसको धारा 109 के अधीन अपील अधिकरण के गठन के पश्चात्, यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष पद ग्रहण करता है;

(ख) उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (3) में ''उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा'' की संगणना के प्रयोजन के लिए, छह मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगा:-

(i) आदेश की संसूचना की तारीख ; या

(ii) वह तारीख, जिसको धारा 109 में अपील अधिकरण के गठन के पश्चात्, यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है।

3. यह आदेश 03 दिसम्बर, 2019 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

(वंदना डाडेल)
सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 187 -- 50